राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट — जयपुर, दिनांकः 06 जनवरी, 2020

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की पंचायतराज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के आम चुनाव, 2020 की घोषणा कर दी गई है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव तीन चरणों में सम्पन्न कराये जायेगें। पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के प्रावधान अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ग के प्रावधान इन चुनाव में भी लागू होंगे। अतः पंचायत राज संस्थाओं के संलग्न कार्यक्रम के अनुसार संबंधित चुनाव क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नानुसार सूखा दिवस लागू करने का निर्देश प्रदान किया जाता है :–

पंच, सरपंच के लिये मतदान दिनांक 17.01.2020, 22.01.2020 एवं 29.01.2020 को होना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 48 घण्टे से पूर्व से सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक है। पंच/सरपंच चुनाव की मतगणना इनके मतदान के दिन ही मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर ही होगी जो देर रात्रि तक पूरी होगी। ऐसी स्थिति में पंच/सरपंच की मतगणना के समय भी सूखा दिवस घोषित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रकार जहां चुनाव दिनांक 17.01.2020 को होने है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 15.01.2020 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 17.01.2020 को मत गणना समाप्ति तक, जिन क्षेत्रों में चुनाव 22.01.2020 को सम्पन्न होने है उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 किमी परिधीय क्षेत्र में दिनांक 20.01.2020 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 22.01.2020 को मत गणना समाप्ति तक एवं जिन क्षेत्रों में चुनाव दिनांक 29.01.2020 को संपन्न होने है उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 27.01.2020 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 29.01.2020 को मत गणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(औंकारमल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/250 — दिनांक: 8/1/20

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपसचिव
राज्य निर्वाचन आयोग